न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 76 / 2016

श्रीमती हेमलता पुत्री कपूरचन्द पत्नी जीतेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी रुदावल तहसील रुपवास हाल निवासी कस्वा रुपवास तहसील रुपवास जिला भरतपुर

.........प्रार्थी

बनाम

1– ओम प्रकाश
2–मुकेश कुमार
3–सन्तोष
} पुत्रान कपूरचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा रुपवास तहसील रुपवास जिला भरतपुर

4–परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई एनएच–87 दौसा (राज0)

5–भूमि आवाप्ति अधिकारी,(उपखण्ड अधिकारी,) रुपवास जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी, एन.एच.डब्लू, खिलाफ एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी रुपवास बाबत आराजी खसरा नम्बर 151 / 17 बाके ग्रांम भिडयानी तहसील रुपवास

उपस्थितः–

1–श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री राजेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं.1,2,3
3– श्री विकास सोनी अभिभाषक एन.एच.

निर्णय दिनांक **26.12.2017**

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 (जी) एन0एच0एक्ट विरुद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 151 / 17 बाके ग्रांम भिडयानी तहसील रुपवास को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 ऊँचा नगला से धौलपुर सैक्शन के लिये उक्त रकवा में से 0.292 है. आवाप्त किया गया है। खसरा नम्बर 151 / 17 का कुल रकवा 4.00 बीघा है। जिसके ओमप्रकाश, मुकेश कुमार, संतोष कुमार पुत्रान कपूरचन्द एवं मन्जू, उषा, हेमलता पुत्रीयान कपूरचन्द कुल छः हिस्सेदार रकवा 309 / 320 हिस्से के वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज हैं। उक्त रकवा में से 0.292 है. भूमि आवाप्त की गई है। जिसका कुल मुआवजा 2428306 /– रुपये मुआवजा राशि तय की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संपूर्ण मुआवजा राशि की अवार्ड मात्र अप्रार्थी न. 1लगाय 3 के नाम जारी की गई है। जब कि उक्त मुआवजा सभी रिकार्डिड खातेदारों के नाम बहिस्सा बराबर तय किया जाना चाहिये था। प्रार्थी को उक्त अवार्ड में अपने हिस्सा 1 / 6 यानि 404718 /– रुपये का मुआवजा मिलना चाहिये था। परन्तु भूमि आवाप्ति अधिकारी रुपवास ने नहीं दिया है। इस बाबत प्रार्थीया ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रार्थना की तो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.........2

हेमलता बनाम ओमप्रकाश

उन्होने मौखिक रुप से श्रीमान के यहॉ चाराजोही करने के लिय कह दिया और प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थीया ने अवार्ड में अपने हिस्सा 1/6 यानि 404718/– रुपये का मुआवजा राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 की तलबी की गई। एस.डी.ओ.(एल.ए.ओ.) रुपवास से रिपोर्ट तलब की गई। एस.डी.ओ.(एल.ए.ओ.) रुपवास प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावाल की गई।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि एस.डी.ओ.(एल.ए.ओ.) रुपवास द्वारा नेशनल हाईवे के लिये आवाप्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 151/17 में भाईयों के साथ प्रार्थीया 1/6 की हिस्सेदार होने के नाते जारी अवार्ड में से 1/6 हिस्सा राशि प्रार्थीया को दिलाई जावे। जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्रांम भिडियानी तहसील रुपवास के आराजी खसरा नम्बर 151/17 के कॉलम संख्या 4 में ओमप्रकाश ,मुकेश, सन्तोषकुमार पिसरान कपूरचन्द मन्जू,ऊषा हेमलता पुत्रियान कपूरचन्द व अन्य काश्तकार खातेदार दर्ज हैं। एस.डी.ओ.(एल.ए.ओ.) रुपवास द्वारा खसरा नम्बर 151/17 में से आवाप्त 0.292 रकवा के पारित अवार्ड में केवल ओमप्रकाश,मुकेशकुमार संतोष पि0 कपूरचन्द के जारी किया गया है। जब कि प्रार्थीया अपने हिस्सा 1/6 का मुआवजा प्राप्त करने की हकदार है। एस.डी.ओ. रुपवास अपनी रिपोर्ट कमांक/राजस्व/भू.अरा./2017/125 दिनांक 18.1.17 के अन्तिम पैरा में अंकित किया है कि ''..... अवाप्त शुदा ख.न.151/17 ग्रांम पिडयानी तहसील रुपवास की अवाप्त की गई भूमि 0.292 हेक्ट0 अवार्ड राशि 2428306/– है जिसका वितरण नहीं किया गया है प्रार्थीया के भाइयों के नाम स्वीकृत अवार्ड राशि में से कम कर नियानुसार प्रार्थीया को जरिये संशोधित अवार्ड दिया जाना प्रस्तावित है..........।'' अप्रार्थीगण की ओर से मुताविक 1/6 हिस्सा प्रार्थीया को मुआवजा दिये जाने में अपने सहमती दी है। इस प्रकार प्रार्थीया कथित अवार्ड में भाईयों के साथ अपने हिस्सा 1/6 के अनुसार अवार्ड राशि प्राप्त करने की हकदार है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी (एल.ए.ओ) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे ख.न. 151/17 में से अवाप्त रकवा 0.292 में पारित अवार्ड राशि में से प्रार्थीया को उसके हिस्सा 1/6 के मुताविक अवार्ड राशि भुगतान किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को सुनाया गया।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official